दिनांक 12.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 16/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद प्रतापगढ़/थाना जेठवारा

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 12.09.2024 को थाना जेठवारा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सीएचसी कुण्डा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अमान उर्फ शाहिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जेठवारा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमान उर्फ शाहिद निवासी सुभाष नगर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी

1–घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन।

जनपद पीलीभीत/थाना बरखेड़ा

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के माल बिक्री के 21 हजार 250 रूपये नगद**
- **लूट के आभूषण**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 12.09.2024 को थाना बरखेड़ा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बीसलपुर रजवाह पुलिया के पास से पुलिस कार्यवाही में

अभियुक्त 1–दिलशाद उर्फ झण्डू 2–नूरमोहम्मद उर्फ आलू उर्फ गूंगा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्त 3–तौहीद 4–अफजल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के माल बिक्री के 21 हजार 250 रूपये नगद, लूट के आभूषण, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि 05.09.2024 को थाना बरखेड़ा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बरखेड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त दिलशाद उर्फ झण्डू के विरूद्ध जनपद पीलीभीत, बरेली के विभिन्न थानो में लूट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त नूरमोहम्मद उर्फ आलू उर्फ गूंगा के विरूद्ध जनपद पीलीभीत, बरेली, बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बरखेड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–दिलशाद उर्फ झण्डू निवासी ग्राम खमरिया पंडरी थाना बरखेडा जनपद पीलीभीत।

2–नूरमोहम्मद उर्फ आलू उर्फ गूंगा निवासी ग्राम छतारी थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।

3–तौहीद निवासी ग्राम पौटा कला थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत।

4–अफजल निवासी ग्राम पौटा कला थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के माल बिक्री के 21 हजार 250 रूपये नगद।

2–लूट के आभूषण।

3–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद कन्नौज/थाना ठठिया

- **घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **लूट के 20 हजार 140 रूपये नगद**
- **लूट के 02 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद**

दिनांक 12.09.2024 को थाना ठठिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मकनपुर रोड भदौसी बार्डर के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–पृथ्वी उर्फ भल्ला 2–आकाश को गिरफ्तार कर डकैती की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने–चाँदी के आभूषण, लूट के 20 हजार 140 रूपये नगद, लूट के 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03/04.09.2024 को थाना ठठिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा डकैती की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ठठिया पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त पृथ्वी उर्फ भल्ला शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हरदोई के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना ठठिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पृथ्वी उर्फ भल्ला निवासी ओमपुरी नानागंज झाला थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई।

2–आकाश निवासी ग्राम रामेन्द्र विहार कॉलोनी थाना बक्सी का तालाब कमिश्नरेट लखनऊ।

बारमदगी

1–लूट के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–लूट के 20 हजार 140 रूपये नगद।

3–लूट के 02 मोबाइल फोन।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

5–घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि।

जनपद हापुड़/थाना सिम्भावली

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 12.09.2024 को थाना सिम्भावली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम धनपुरा जंगल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–गुलवीर उर्फ गुल्लू 2–आसिफ 3–सिन्नू घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 4–नकुल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सिन्नू के विरूद्ध जनपद हापुड के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग एवं अन्य के विरूद्ध भी सीएस एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गुलवीर उर्फ गुल्लू निवासी ग्राम खिलवाई थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

2—आसिफ निवासी सिकंदर गेट टंकी के पास थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।

3—सिन्नू निवासी ग्राम अठसैनी थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

4—नकुल निवासी ग्राम खिलवाई थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

बरामदगी

1—04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना बसखारी

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 12.09.2024 को थाना बसखारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुढ़नापुर भट्ठा के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में दो पुलिस कर्मी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—मो0आरिफ 2—एकलाख अहमद 3—इरफान घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 4—प्रमोद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मो0आरिफ के विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 12 अभियोग, अभियुक्त एकलाख के विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग एवं अभियुक्त इरफान के विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में सीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बसखारी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0आरिफ निवासी नगपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

2–एकलाख निवासी नगपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

3–इरफान निवासी कौडाही थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर।

4–प्रमोद निवासी हथिना इंदईपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

1–03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

- **जनपद बाराबंकी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 12 करोड़ 16 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद बाराबंकी पुलिस ने अभियुक्त मुनव्वर पुत्र यासीन निवासी राजा कटरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा अपने परिजन व अपने मित्र के परिजन के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 12 करोड़ 16 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद मऊ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 86 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद मऊ पुलिस ने अभियुक्त संजय जायसवाल पुत्र छेदीलाल निवासी रईसा थाना कोपागंज, हालपता बहरामपुर थाना मधुबन जनपद मऊ द्वारा अपने भाई के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 86 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना बी0बी0नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 55–55 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना बी0बी0नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201

भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–कपिल कुमार 2–अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व 55–55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खतौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना खतौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जबरसिंह को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना घोरावल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना घोरावल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/376(2) भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रवेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मऊ/थाना घोसी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 09 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना घोसी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी/201 भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सिप्तेहसन को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 09 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–जनपद जौनपुर से रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी मोनू यादव गिरफ्तार।

दिनांक 12–09–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना खुटहन जनपद जौनपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 30/2024 धारा 307, 386, 504, 506 भा0द0वि0 में वांछित रूपये 25,000/– के पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी मोनू यादव को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

मोनू यादव पुत्र समरनाथ यादव, नि0 डडवा खालिसपुर, थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

पिलकिछा चौराहा थानाक्षेत्र खुटहन जनपद जौनपुर दिनांक 12–09–2024 समय प्रातः 05.30 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा अपनी टीम के साथ अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन हेतु एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी की टीम जनपद जौनपुर में मौजूद थी कि विश्वस्त सूत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना खुटहन जनपद जौनपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 30/2024 धारा 307, 386, 504, 506 भा0द0वि0 में वांछित रूपये 25,000/– का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी मोनू यादव जनपद जौनपुर के थाना खुटहन के पिलकिछा चौराहे के पास मौजूद है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर वांछित अभियुक्त मोनू यादव को पिलकिछा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह दिनांक 01—02—2024 को अपने साथी अंकित उर्फ आकाष के साथ मिलकर जनपद जौनपुर के थाना खुटहन क्षेत्रान्तर्गत लालबहादुर सोनी के हार्डवेयर की दुकान पर जाकर उनके उपर जान से मारने के नियत से फायर किया था, लालबहादुर सोनी के पेट में गोली लगी थी, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गये थे। जिससे मौके पर दहशत का माहौल पैदा हो गया था। इस सम्बन्ध में थाना खुटहन पर मु0अ0सं0 30/2024 धारा 307, 386, 504, 506 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि छित्रेश तिवारी उर्फ छोटू तिवारी पुत्र दुर्गेश तिवारी नि0 चौबहा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर व इन्द्रेश तिवारी पुत्र जटाशंकर तिवारी नि0 चौबहा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर जो जिला कारागार अम्बेडकरनगर में निरूद्ध हैं, के द्वारा लालबहादुर सोनी से रंगदारी मांगा गया था। रंगदारी न देने पर मोनू यादव व अंकित उर्फ आकाश को साहिल तिवारी द्वारा असलहा उपलब्ध कराया गया था, जिसके उपरान्त मोनू यादव व अंकित द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया था। अंकित उर्फ आकाश को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त मोनू यादव घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिस पर जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त मोनू यादव के विरूद्ध जनपद जौनपुर व सुलतानपुर में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी सहित कई अभियोग पंजीकृत है।

मोनू यादव का अपराधिक इतिहास निम्नवत् हैः—

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	66/22	392, 411 भादवि	बदलापुर	जौनपुर
2	124/22	307 भादवि	बदलापुर	जौनपुर
3	127/22	3/25 आर्म्स एक्ट	बदलापुर	जौनपुर
4	59/22	387, 452, 504, 506 भादवि	बदलापुर	जौनपुर
5	48/22	323, 325, 504, 506 भादवि	बदलापुर	जौनपुर
6	108/22	147, 323, 427, 452, 504, 506 भादवि	बदलापुर	जौनपुर
7	56/23	379, 411 भादवि	मछलीशहर	जौनपुर
8	56/23	379, 411 भादवि	करौदीकला	सुलतानपुर

9	57／23	307 भादवि	करौदीकला	सुलतानपुर
10	49／23	394, 411 भादवि	करौदीकला	सुलतानपुर

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त मोनू यादव को मु0अ0सं0 30／2024 धारा 307, 386, 504, 506 भा0द0वि0 में थाना खुटहन जनपद जौनपुर में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

———————